E.mail.

संख्या 1387 /नौ-8-23-01ज/2023

प्रेषक,

डॉ. राजेन्द्र पैंसिया,
विशेष सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त नगर आयुक्त,**
   नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊः दिनांक 24 जुलाई, 2023

विषयः- स्थानीय स्तर पर स्थानीय पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति का गठन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि ए.बी.सी. रूल-2023 के नियम 9(4) सभी राज्यों के स्थानीय प्राधिकरण स्तर पर एक स्थानीय पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति गठित किये जाने का प्रावधान है, जिसके दृष्टिगत उ.प्र. राज्य में स्थानीय प्राधिकरण स्तर पर एक स्थानीय पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति का गठन किया जाना आवश्यक है।

2- उल्लेख किया जाना है कि ए.बी.सी. रूल-2023 के नियम 9(4) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार प्रदेश के प्रत्येक जनपद में स्थानीय स्तर पर एक निगरानी समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है। **जनपद स्तर पर पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति का गठन** निम्नानुसार किया जायेगा -

क्रमांक	पदनाम	प्रास्थिति
01	नगर निगमों में नगर आयुक्त तथा नगर निगमों के अतिरिक्त जनपद की अन्य निकायों हेतु संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/ नगर निगम न होने की स्थिति में संबंधित जनपद के जिलाधिकारी	अध्यक्ष
02	जनपद के जन स्वास्थ्य विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य
03	जनपद के पशुपालन विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य
04	क्षेत्रीय पशुचिकित्साधिकारी	सदस्य
05	जिला पशु क्रूरता निवारण समिति का एक प्रतिनिधि (यदि है तो)	सदस्य
06	स्थानीय स्तर पर कार्यरत पंजीकृत सी.एस.ओ. का एक प्रतिनिधि	सदस्य

समिति में श्वानों के संबंध में जानकारी रखने वाले व्यक्तियों/श्वान प्रेमियों को भी प्रतिभाग हेतु आमंत्रित किया जा सकता है।

3- उक्त समिति के कार्य निम्नवत् होंगेः-

(1) बंध्याकरण, टीकाकरण अथवा चिकित्सा के लिए श्वानों को पकड़ने,परिवहन, आश्रय, नसबंदी, टीकाकरण, उपचार और पुनः छोड़ने के लिए निर्देश जारी करना।

(2) घातक रूप से घायल अथवा असाध्य रूप से रूग्ण श्वानों को पीड़ा रहित मृत्यु देने के लिये पशुचिकित्सक को सोडियम पैंटोथॉल का उपयोग करके दया मृत्यु देने के निर्देश देना। ऐसे पशु को मृत्यु किसी भी और तरीके से नहीं दी जा सकती। ऐसे निर्देश देने से पूर्व समिति द्वारा दो पशु चिकित्साधिकारियों तथा एक मान्यता प्राप्त पशुकल्याण संस्था के प्रतिनिधि की एक उपसमिति गठित की जायेगी, जिसकी संस्तुति ऐसा निर्णय लेने हेतु आवश्यक होगी। प्रत्येक श्वान, जिसको दया मृत्यु दी गई हो, के कारण को लिखित में दर्ज किए जायेगा।

(3) जन जागरूकता पैदा करना तथा सहयोग और वित्त पोषण का प्रबंधन करना।

(4) पालतू श्वानों के स्वामियों तथा श्वानों को बेचने वाले वाणिज्यिक प्रजनकों को समय समय पर दिशा-निर्देश प्रदान करना।

(5) श्वान के काटने के मामलों में पता लगाना कि घटना निराश्रित श्वान अथवा पालतू श्वान से संबंधित है। यह सूचना अपेक्षित प्रारूप में मानव स्वास्थ्य केंद्रों से ली जा सकेगी।

(6) भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड द्वारा बताये गये तरीके से संगणना आयोजित करके नगर निकाय की क्षेत्रीय सीमाओं के अंदर श्वानों की संख्या का अनुमान लगाना।

(7) श्वानों की अनुमानित संख्या के लिए पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को निष्पादित करने हेतु आवश्यक आधारभूत ढाँचे का विकास सुनिश्चित करना। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराना।

(8) नये क्षेत्र में पशु जन्म नियंत्रण अभियान चलाने से पूर्व ऐसे लक्षित क्षेत्र में कम से कम 70 प्रतिशत श्वानों को चरणबद्ध रूप से क्षेत्रवार पशु जन्म नियंत्रण करने के लिए आधारभूत ढाँचे को इस प्रकार बनाया जाना कि उसमें आपरेशन से पूर्व तैयारी के क्षेत्र, आपरेशन थियेटर, पोस्ट-ऑप

केयर, रसोई, राशन और दवाओं हेतु स्टोर रूम, पार्किंग क्षेत्र, पशुचिकित्सकों एवं परिचारकों हेतु आवासीय कमरे, क्वारंटाइन वार्ड, एम्बुलेंस आदि सम्मिलित हो।

(9) पशु जन्म नियंत्रण नियम-2023 के नियम-13 के अनुरूप अनुसूची-3 में दिये गये प्रारूप में पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम की मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह की 10 वीं तिथि से पूर्व शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करना।

4- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त प्रस्तर-2 के अनुसार प्रदेश के प्रत्येक जनपद में स्थानीय पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति का गठन करते हुए प्रस्तर-3 के अनुसार उसके कार्य/उत्तरदायित्व निर्धारित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ.राजेन्द्र पैंसिया)
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र., लखनऊ।
2. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ.प्र.।

आज्ञा से,

(के.पी.सिंह)
अनु सचिव

केयर, रसोई, राशन और दवाओं हेतु स्टोर रूम, पार्किंग क्षेत्र, पशुचिकित्सकों एवं परिचारकों हेतु आवासीय कमरे, क्वारंटाइन वार्ड, एम्बुलेंस आदि सम्मिलित हो।

(9) पशु जन्म नियंत्रण नियम-2023 के नियम-13 के अनुरूप अनुसूची-3 में दिये गये प्रारूप में पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम की मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह की 10 वीं तिथि से पूर्व शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करना।

4- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त प्रस्तर-2 के अनुसार प्रदेश के प्रत्येक जनपद में स्थानीय पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति का गठन करते हुए प्रस्तर-3 के अनुसार उसके कार्य/उत्तरदायित्व निर्धारित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ.राजेन्द्र पैंसिया)
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र., लखनऊ।
2. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ.प्र.।

आज्ञा से,

(के.पी.सिंह)
अनु सचिव